



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 कार व लूटे गये 30,000/- रुपये नगद बरामद

बरामदगी-

- लूटी गये 30,000/- रुपये नगद।
- 01 चाकू नाजायज(घटना में प्रयुक्त)
- 02 मोबाईल फोन
- 01 कार (घटना में प्रयुक्त)

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2025 को वादी श्री पिन्टू पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम मानकपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली की लिखित तहरीर बाबत 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी से 45000/- रुपये (जो गेहुँ बेचकर वापिस अपने घर जा रहा था) छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना तीतरों पर मु0अ0स0 43/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा -निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा आईसी/उ0नि0 श्री विकास तोमर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा ग्राम लढोरा के निकट बाईपास तिराहे के पास संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति की चैकिंग की जा रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार ग्राम लढोरा की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को रुकने का इशारा किया गया तो कार चालक द्वारा कार को हड़बड़ी में रोककर दरवाजा खोल कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दोनों का पकड़ लिया गया। जिनकी पहचान 1.अशोक नाथ पुत्र जगदीश नाथ 2. बाबूनाथ पुत्र बैजनाथ निवासीगण वजीरपुर टीटाना, थाना सम्भालका, जिला पानीपत, हरियाणा के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 30,000/- रुपये नगद, 01 चाकू नाजायज, 01 कार व 02 मोबाईल फोन बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध हरियाणा व उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न थानों में कई मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार दोनों अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों कम पढ़े लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसी की कमी का सामना करना पड़ता है। दिनांक 24.04.2025 को हम दोनों कार से गंगोह से जलालाबाद की तरफ जा रहे थे की तभी कस्बा गंगोह से तीतरो जलालाबाद रोड पर हमें

एक व्यक्ति अकेला ट्रैक्टर पर जाता दिखाई दिया। हम दोनों ने ट्रैक्टर चालक को किसी गाँव का रास्ता पूछने के बहाने रुकवाया और बाबूनाथ ने अपने साथ लिये चाकू दिखाकर व उसे डरा धमकाकर उससे 45,000/- रुपये छीन कर वहाँ से भाग गये थे। हम दोनों ने छीने गये रुपयों को आपस में आधा-आधा बाँट लिया था। आज जब हम दोनों कहीं जा रहे थे तो पुलिस ने रास्ते में हमें पकड़ लिया। पुलिस ने जो 30,000/- रुपये बरामद किये हैं वो हमने ट्रैक्टर चालक से चाकू को दिखाकर छीने थे। बाकि 15000/- रुपये हम दोनों ने खर्च कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

- 1- अशोकनाथ पुत्र जगदीशनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना सम्भालका जिला पानीपत हरियाणा
2. बाबूनाथ पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम वजीरपुर टिटाना थाना सम्भालका जिला पानीपत हरियाणा

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बाबूनाथ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 134/2017 धारा 379/411 थाना मतलौदा पानीपत हरियाणा
2. मु0अ0स0 279/2021 धारा 379/420 भादवि थाना सिविल लाईन करनाल हरियाणा
3. मु0अ0स0 334/2021 धारा 379ए भादवि थाना घरौंदा करनाल हरियाणा
4. मु0अ0स0 279/2022 धारा 379/419/420 भादवि थाना गोहाना सोनीपत हरियाणा

अभियुक्त अशोकनाथ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 207/2020 धारा 420 भादवि थाना पठरी हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. मु0अ0स0 279/2022 धारा 379/419/420 भादवि गोहाना सोनीपत हरियाणा

बरामदगी का विवरण-

- लूटी गये 30,000/- रुपये नगदा
- 01 चाकू नाजायज (घटना में प्रयुक्त)
- 02 मोबाईल फोन
- 01 कार (HR 06 AU 5499) (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजपाल सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 विनोद पंवार सर्विलांश प्रभारी मय टीम जनपद सहारनपुर
4. है0का0 740 हनी सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
5. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है0का0 258 अजीत कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का0 326 रिकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:-30.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल(पीली व सफेद धातु के आभूषण) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.4.2025 को वादी राशीद पुत्र खलील निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से आभूषण चोरी करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 142/2025 धारा 305(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर चोरी की घटना का सफल अनावरण करने व घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर/अभियुक्त 1. आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र मोबीन निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा 2. फिरोज पुत्र नईम निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर को कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशांदाही पर वादी के घर में घुसकर चोरी किए गए पीली व सफेद धातु के आभूषण जिसमें (01 मांग टीका व 01 नथ पीली धातु) व (02 कड़े, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी कुण्डल, 01 चैन व 02 पंचांग सफेद धातु) के बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त दोनों ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों कम पढ़े लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम दोनों को ही अक्सर पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है व हम दोनों नशा करने के आदि भी हैं। हम दोनों अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये बंद पड़े मकानों से चोरी भी कर लेते हैं। हमने पुलिस को नकुड़ रोड़ पर खाली पड़े प्लॉट में पत्थर की नीचे दबाये हुए सोने व चांदी की सभी आभूषण बरामद करा दिए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र मोबीन निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा
2. फिरोज पुत्र नईम निवासी मौ0 काजियान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 173/17 धारा 504 भादवि

मु0अ0सं0 339/24 धारा 305(A)/317(2)/324(4)/331(4) बीएनएस

मु0अ0सं0 339/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त आस मौहम्मद का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 381/21 धारा 411/414/465/471 भादवि

बरामदगी-

- 01 मांग टीका व 01 नथ (पीली धातू)
- (02 कडे, 02 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी कुण्डल, 01 चैन व 02 पंचांग (सफेद धातू)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2200 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर